Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में एस.डी.एम. लूनकरणसर का पेशकार (रीडर) 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *29 जून, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर एस.यू., इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये किशन सिंह कनिष्ठ सहायक हाल पेशकार (रीडर) उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर, जिला बीकानेर को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर एस.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिवाद पर धारा 122 जा.फौ. में कार्यवाही करने की एवज में किशन सिंह कनिष्ठ सहायक हाल पेशकार (रीडर) उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर, जिला बीकानेर द्वारा **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी बीकानेर एस.यू. इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री गुरूमैल सिंह** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये किशन सिंह पुत्र श्री रणसिंह राजपूत निवासी ग्राम मजावड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक हाल पेशकार (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर, जिला बीकानेर को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।